Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलेक्टर(सतर्कता) श्रीगंगानगर
पीठासीन अधिकारीः– भवानीसिंह आर.ए.एस.

प्रकरण सं0 1/2021

.राज्य सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्री गंगानगर
बनाम
राजकुमार पुत्र श्री हंसराज उपवेजा, मै0 उपवेजा ऑप्टीकल्स, गंगानगर से हिन्दूमलकोट रोड, श्री गंगानगर।

अर्न्तगत धारा 6 ए आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955

आदेश दिनांक 18–08–2021

प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, श्री गंगानगर द्वारा इस्तगासा अन्तर्गत धारा 6 आवश्यक वस्तु अधिनियम, के तहत पेश किया गया कि दिनांक 31–01–2021 को राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र में प्रकाशित खबर के क्रम में श्री राकेश सोनी, जिला रसद अधिकारी, श्री गंगानगर के साथ श्री सुरेश कुमार प्रवर्तन अधिकारी, श्री संदीप गौड, प्रवर्तन अधिकारी, श्री करणपुर शहर के हिन्दूमलकोट रोड़ स्थित मै0 उपवेजा ऑप्टीकल्स पर अवैध पट्रोल व डीजल के बेचान के संबंध में जॉच हेतु पहुॅचे। मौके पर गैरसायल स्वंय उपस्थित मिला। दौराने जॉच पूछताछ पर गैरसायल ने स्वंय को दुकान का मालिक होना बताया। गैरसायल की उपस्थिति में दुकान का जॉच दल द्वारा निरीक्षण किया गया। मौके पर दुकान के निरीक्षण में दुकान परिसर में चार बोतलों में कुल चार लीटर पट्रोल व कुछ खाली बोतलें मिली जिनके बारे में गैरसायल ने बताया कि पट्रोल पंजाब से दर कम होने के कारण खरीद कर लाया है क्योंकि इसका गॉव पंजाब से लगभग चार किलोमीटर दूर होने के कारण इनका बेचान आमदनी के लिए करता है। मौके पर चार बोतलों में पट्रोल के साथ एक लोहे का आधे लीटर का माप , एक प्लास्टिक की कीप व एक हस्तलिखित हिसाब किताब की डायरी मिली जिसपर पट्रोल, उसकी मात्रा व दिनांक दर्ज थी। पट्रोल अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आसापास की जानमाल की हानि होने का खतरा है। इस संबंध में गैरसायल के पास पट्रोल रखने व बेचान करने हेतु किसी प्रकार का कोई प्राधिकार पत्र/अनुज्ञा पत्र/लाईसैन्स/परमिट आदि नहीं था। इस पर चार बोतल प्लास्टिक कुल चार लीटर पट्रोल, एक कीप प्लास्टिक व एक हस्तलिखित डायरी को बतौर वजह सबूत सीज किया गया। जब्त शुदा सामग्री को सुरक्षा की दृष्टि से श्री शंकर सेतिया पुत्र श्री मुरारी लाल सेतिया निवासी गली नं0 4 चक 3 ई छोटी, श्री गंगानगर को सुपुर्दगीनामा तैयार करके गैरसायल की सहमति से सुपुर्दगी में दिया गया। गैरसायल द्वारा उक्त कृत्य कर आवश्यक वस्तु अधनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी Motor Spirit & High Spead Diesel [Regulation of Supplies and Distribution and Prevention of Malpracties] order,2005 की धारा 2(च)(vi)(vii)(थ)(द),3(4,6),4 की स्पष्ट अवहेलना है। इस प्रकार निवेदन किया कि जब्त शुदा चार लीटर पट्रोल एवं एक प्लास्टिक कीप व हस्त लिखित डायरी को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर

इस्तगासा पेश होने पर राजपैरोकार को सुना गया तथा गैरसायल के विरूद्व प्रसंज्ञान लिया जाकर इस्तगासा दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। नोटिस की तामील पर गैरसायल स्वंय उपस्थित हुआ तथा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर इस्तगासा में वर्णित तथ्यों को स्वीकार करते हुए प्रकरण के निस्तारण की प्रार्थना की।

राजपैराकार ने अपनी बहस में निवेदन किया कि गैरसायल से चार प्लास्टिक की बोतलों में कुल चार लीटर पट्रोल, एक प्लास्टिक की कीप व एक हस्तलिखित डायरी बरामद हुई है, जिसका गैरसायल के पास कोई विधिक प्राधिकार पत्र/अनुज्ञा पत्र/लाईसैन्स/परमिट नहीं था। गैरसायल का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी Motor Spirit & High Spead Diesel [Regulation of Supplies and Distribution and Prevention of Malpracties] order,2005 की धारा 2(च)(vi)(vii)(थ)(द),3(4,6),4 की स्पष्ट अवहेलना है। इस प्रकार निवेदन किया कि जब्त शुदा चार लीटर पट्रोल एवं एक प्लास्टिक कीप व हस्त लिखित डायरी को राजसात करने का आदेश फरमाया जावे।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। अवलोकन से पाया गया कि दौराने जॉच दिनांक 31-1-2021 को निरीक्षण जॉच दल द्वारा मौके पर दुकान परिसर में चार बोतलों में कुल चार लीटर पट्रोल व कुछ खाली बोतलें जिनके बारे में गैरसायल ने बताया कि पट्रोल पंजाब से दर कम होने के कारण खरीद कर लाया है क्योंकि इसका गॉव पंजाब से लगभग चार किलोमीटर दूर होने के कारण इसका बेचान आमदनी के लिए करता है। मौके पर चार बोतलों में पट्रोल के साथ एक लोहे का आधे लीटर का माप , एक प्लास्टिक की कीप व एक हस्तलिखित हिसाब किताब की डायरी मिली जिसपर पट्रोल, उसकी मात्रा व दिनांक दर्ज थी। पट्रोल अत्यन्त ज्वलनशील पदार्थ है जिससे आसापास की जानमाल की हानि होने का खतरा है। इस संबंध में गैरसायल के पास पट्रोल रखने व बेचान करने हेतु किसी प्रकार का कोई प्राधिकार पत्र/अनुज्ञा पत्र/लाईसैन्स/परमिट आदि नहीं था। गैरसायल का उक्त कृत्य आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3 के तहत जारी Motor Spirit & High Spead Diesel [Regulation of Supplies and Distribution and Prevention of Malpracties] order,2005 की धारा 2(च)(vi)(vii)(थ)(द),3(4,6),4 की स्पष्ट अवहेलना है। गैरसायल स्वंय ने भी प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर अपना जुर्म स्वीकार किया है।

अतः गैरसायल से दिनांक 31-01-2021 को जब्त शुदा चार प्लास्टिक की बोतलों में कुल चार लीटर पट्रोल, एक प्लास्टिक की कीप व एक हस्तलिखित डायरी को राजसात किये जाने का आदेश दिया जाता है। कुल चार लीटर पट्रोल के संबंध में दिनांक 17-2-21 को जारी अंतरिम आदेश की पुष्टि की जाती है।

आदेश की प्रति जिला रसद अधिकारी श्री गंगानगर को निर्णय की पालनार्थ भिजवाई जावे।

आदेश मेरे द्वारा आज दिनांक 18-08-2021 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(भवानीसिंह पंवार)
अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता)
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर, सतर्कता
श्रीगंगानगर

अतिरिक्त जिला कलक्टर (सतर्कता) श्रीगंगानगर (राज.) सत्यमेव जयते